कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in, nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1334 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 04 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–150404/2021)।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का कार्यालय पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/005/2023/एफ.सी./974 दिनांक 20.10.23।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1783/12–1(2) दिनांक 11.10.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। (वचनबद्धता संलग्न है।)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।(वचनबद्धता संलग्न है।)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण	
क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लगात पर 3.366 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम मल्ला गडकोट, खसरा सख्या 38 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 15,07,938.00 की गयी है साथ ही प्रस्ताव विभाग की लागत पर वन विभाग द्वारा ग्राम गैरा, तहसील रानीखेत के खसरा संख्या 629 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय स्वदेशी पौधो का पौधारोपण किया जाएगा। एकल प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण नहीं जाएगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। (वचनबद्धता संलग्न है।)
ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं छवजपपिबंजपवद करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guidline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि को वन विभाग के नाम म्यूटेशन (अमलदरामद) कर दिया गया है। म्यूटेशन खतौनी संलग्न की गयी है।

	विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
घ)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने के पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को उक्त शर्त मान्य है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ. सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.68 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.68 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए एन.पी.वी. वर्तमान दरों के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा की धनराशि रू0 21,71,988.00 जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र संलग्न किया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 26 वृक्षों तथा 28 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों का पातन प्रभावित होने वाले 54 वृक्षों का पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण (देख–रेख) में किया जाएगा। वृक्षों से पातन की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विकास निगम के खाते में जमा की जाएगी।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न की गयी है।
8.	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि

	कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
9.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नहीं।
10.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव का ले–आउट प्लान लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।
11.	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा। **(वचनबद्धता संलग्न है।)**
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में कार्य कर रहे मजदूरों को वन विभाग एवं वन विकास निगम तथा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी क्षेत्र से प्राप्त लकड़ी को दिया जाएगा। **(वचनबद्धता संलग्न है।)**
13.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर बनाकर सीमांकन किया जाएगा।**(वचनबद्धता संलग्न है।)**
14.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।**(वचनबद्धता संलग्न है।)**
15.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।**(वचनबद्धता संलग्न है।)**
16.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी। **(वचनबद्धता संलग्न है।)**
17.	इसमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई की जा सकेगी।**(वचनबद्धता संलग्न है।)**
18.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लोक निर्माण विभाग को मान्य होगी।**(वचनबद्धता संलग्न है।)**
19.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की

	अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीर्वित करने के कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवा को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनायी जाएगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी।**(वचनबद्धता संलग्न है।)**
20.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कियदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी होगी।**(वचनबद्धता संलग्न है।)**
21.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड कर दी गयी है।
22.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। **(वचनबद्धता संलग्न है।)**
23.	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग मोटर मार्ग से उत्सर्जित मलवा का निस्तारण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्व चयनित स्थलों पर इस प्रकार निस्तारण करेगा कि अनावश्यक रूप से मलवा तय सीमा से नीचे न गिरे साथ ही मलवा का निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा। **(वचनबद्धता संलग्न है।)**
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भविष्य में यदि प्रस्ताव में यदि कोई अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश लागू हो तो उनके अधीन अनुमति लेना लोक निर्माण विभाग की जिम्मेवारी होगी। **(वचनबद्धता संलग्न है।)**
25.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1334 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय,
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष :05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1783/ 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 11-10-.2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–150404/2021)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का कार्यालय पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/005/2023/एफ.सी./974 दिनांक 20.10.23।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नवत प्रेषित की गयी हैः–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (वचनबद्धता संलग्न है।)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	लोक निर्माण विभाग को परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।(वचनबद्धता संलग्न है।)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण	
क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लगात पर 3.366 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम गैरा तहसील रानीखेत में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	लोक निर्माण विभाग की लागत पर वन विभाग द्वारा ग्राम गैरा, तहसील रानीखेत के खसरा संख्या 629 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय स्वदेशी पौधो का पौधारोपण किया जाएगा। एकल प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण नहीं जाएगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। (वचनबद्धता संलग्न है।)
ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guidline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि को वन विभाग के नाम म्यूटेशन (अमलदरामद) कर दिया गया है। म्यूटेशन खतौनी संलग्न की गयी है।
ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रभारी अल्मोड़ा
आ.का.के.।

प्र.व.सं./नो.

प्रमुख वन संरक्षक ... नोडल अधिकारी ... देहरादून
पत्रांक सं. 1409
फाइल 12-1
दिनांक 22-10-24

	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने के पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.68 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	लोक निर्माण विभाग से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 1.68 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए एन.पी.वी. वर्तमान दरों के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शपथ पत्र संलग्न किया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 26 वृक्षों तथा 28 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों का पातन प्रभावित होने वाले 54 वृक्षों का पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण (देख–रेख) में किया जाएगा। वृक्षों से पातन की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विकास निगम के खाते में जमा की जाएगी।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	लोक निर्माण विभाग द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। जमा रसीद संलग्न की गयी है।
8.	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वनाधिकार अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
9.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नहीं।
10.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्ताव का ले–आउट प्लान लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।

	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।(वचनबद्धता संलग्न है।)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में कार्य कर रहे मजदूरों को वन विभाग एवं वन विकास निगम तथा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी क्षेत्र से प्राप्त लकड़ी को दिया जाएगा। (वचनबद्धता संलग्न है।)
13.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर बनाकर सीमांकन किया जाएगा।(वचनबद्धता संलग्न है।)
14.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।(वचनबद्धता संलग्न है।)
15.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।(वचनबद्धता संलग्न है।)
16.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। (वचनबद्धता संलग्न है।)
17.	इसमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ.सी. दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई की जा सकेगी।(वचनबद्धता संलग्न है।)
18.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लोक निर्माण विभाग को मान्य होगी।(वचनबद्धता संलग्न है।)
19.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीर्वित करने के कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	लोक निर्माण विभाग पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवा को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनायी जाएगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी।(वचनबद्धता संलग्न है।)
20.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी होगी।(वचनबद्धता संलग्न है।)
21.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड कर दी गयी है।
22.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	लोक निर्माण विभाग पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। (वचनबद्धता संलग्न है।)

	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	लोक निर्माण विभाग मोटर मार्ग से उत्सर्जित मलवा का निस्तारण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्व चयनित स्थलों पर इस प्रकार निस्तारण करेगा कि अनावश्यक रूप से मलवा तय सीमा से नीचे न गिरे साथ ही मलवा का निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जाएगा। **(वचनबद्धता संलग्न है।)**
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	भविष्य में यदि प्रस्ताव में यदि कोई अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश लागू हो तो उनके अधीन अनुमति लेना लोक निर्माण विभाग की जिम्मेवारी होगी। **(वचनबद्धता संलग्न है।)**
25.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार (3-प्रतियों में)

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1783/12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि–वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (1)

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0–150404/2021)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत
Shailendra
Ameen

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Ameen Pramar Patra/Arvind

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (2)

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0–150404 / 2021) ।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग को आवश्यक गैर वन भूमि सौपे जाने के बाद वन भूमि सौपी जाय।

अपर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Shailendra
Ameen

Ameen Pramar Patra/Arvind

प्रस्ताव का नाम— बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग

प्रमाण पत्र शर्त सं० 3(ग)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्ताव हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम गैरा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र जैना तहसील रानीखेत की 3.36 हे० सिविल भूमि में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत सी०ए० क्षेत्र आवंटित न होने के कारण वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (4)

कार्य का नाम :— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0—150404/2021)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो की रख रखाव योजना की धनराशि जमा कर दी गयी है। यदि भविष्य में निर्धारित लागत में उच्च स्तर से वृद्वि होती है। उपयुक्त धनराशि शामिल की जा सकती है, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, Shailendra रानीखेत Ameen	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

36

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अंबेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.68 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 3.36 है0 सिविल भूमि का नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/ नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/ 2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के अनुरोध के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा अपने पत्र संख्या 271 (भू0)/तहसील रानीखेत आगणन/2023–24, दिनांक 19 जून,2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवत अभिलेखों सहित क्षतिपूरक– वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी,खसरा,नक्शा, व प्रारूप–2 पर आख्या एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/05/2023/एफ.सी./974, दिनांक 20–10–2023 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक– वृक्षारोपण के लिए ग्राम गैरा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र जैना, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या–10 श्रेणी 9(3)ड के खेत नम्बर 629 रकबा 1.168 है0, खेत नम्बर 631 रकबा 1.190 है0, खेत नम्बर 665 मध्ये रकबा 1.002 है0 कुल 3.360 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/ नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, राल्ट खुमाड़' तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 01/) जून,2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या– /ग्यारह– 51 /2023–24 दिनांक: जून,2024

प्रतिलिपिः निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
4– तहसीलदार, रानीखेत।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

म० नं० खतौनी नकल ग्राम गौरा रा० उ० नि० क्षेत्र दौना तहसील

1(3) ड. कृषि योग्य बंजर भूमि

खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर		विवरण
बंजर कदीम आबाद		34	0.020		आदेश कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा आदेश सं० 6060 [illegible]/22/2023-24 दिनांक 2-07-24 राजस्व अनुभाग 2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के अधिसूचना सं० 2173/XVIII(II)2012/18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा [illegible] विभाग अधिशासी अभियन्ता रानीखेत प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत के अनुरोध के क्रम में [illegible] पत्र सं० 27/ [illegible] रानीखेत के द्वारा अपने पत्र तहसील रानीखेत आगणन/2023-24 दिनांक 19 जून 2024 से प्राप्त प्रस्ताव/ रानीखेत आख्या संलग्न के आधार पर ग्राम गौरा में बिल्लेख से [illegible] तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 1.78 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 3.36 हे० सिविल भूमि का वन विभाग के लिए ग्राम गौरा के तोक जाखदरा बिनाल खेतानी वाला से-1 श्रेणी 1(3) ड़ 631 रकबा 1.190 हे० खेत नं 665 में रकबा 1.002 हे० कुल 3.360 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नियन्त्रण में हस्तान्तरित / नामान्तरित कि जाती है
		35	0.038		
		36	0.049		
		47	0.084		
		52	0.053		
		56	0.031		
		57	0.018		
		58	0.058		
		59	0.059		
		60	0.021		
		क्रमशः	क्रमशः		
		606	0.004		
		621	0.019		
		628	0.045		
		629	1.168		
		631	1.190		
		642	0.009		
		643	0.009		
		657	0.035		
		665	1.570		
		677	0.026		
		740	0.006		
		755	0.396		
		279/760	0.029		
		470/762	0.010		
		41	5.301		

महोदय, तैयार किया

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- दौना
तहसील- रानीखेत
जिला- अल्मोड़ा

	d Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
	DAD/16710/2015 report.aspx? /UK/ROAD/16710/2015) of Ruchiakhal Gangajhala di Timilkhet motor road	ROAD167102015236	6116710236	26 Feb 2021	CA: 1510630/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1422135/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2932765/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 05 Apr 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 May 2024 Transaction Date : 16 Jun 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/30032024143832S402_FPUKROAD16 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROA
	/UK/ROAD/150404/2021 (../viewreport.aspx? id=FP/UK/ROAD/150404/2021) Construction of Billekh to Gaira motor road	ROAD150404202171 9	6115040471 9	20 Oct 2023	CA: 1507938/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2171988/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3679926/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 11 Jan 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 24 Feb 2024 Transaction Date : 12 Apr 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/08012024154212S706_FPUKROAD15
3	FP/UK/ROAD/16265/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/16265/2015) Deghat Talli Narayan Mandir Malbheedha Dharkot Shera Munani Malkhet Nagchulakhal Motor Road.	ROAD162652015129	6116265129	03 Dec 2020	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1836147/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1836147/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Sep 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 24 Feb 2024 Transaction Date : 28 Nov 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/22092023110336765 2_FPUKROAD16
4	FP/UK/ROAD/22981/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/22981/2016) Construction of Majhera Kumarti Sore Nored Motor Road	ROAD229812016976	6122981976	16 Nov 2022	CA: 514070/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 633282/- NPV: 0/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1147352/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 23 Sep 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 23 Sep 2023 Transaction Date : 28 Nov 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/130920231330213342_FPUKROAD22
5	FP/UK/ROAD/10159/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10159/2015) Construction of Kuloli Munra Devikhal Motor Road	ROAD101592015881	6110159881	30 Dec 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Additional NPV : 1021236/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1021236/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 15 Feb 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Feb 2023 Transaction Date : 01 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040220231342119599_FPUKROAD1C Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROA

शपथ पत्र (5 ख)

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–150404/2021)

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से शुद्ध एन0पी0वी0 की मूल्य दरों में बढोतरी हुई तो बढी हुई दर के अनुसार एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जाएगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
Shailendra रानीखेत
Ameen

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (6)

कार्य का नाम :— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0–150404/2021)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 54 वृक्षों का पातन वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रजाति का पातन नहीं किया जाएगा तथा वृक्षों के पातन के नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत
Shailendra
Ameen

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (7)

कार्य का नाम :— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0—150404 / 2021)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में कार्य कर रहे मजदूरों को वन विभाग एवं वन विकास निगम तथा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी क्षेत्र सें

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत
Shailendra
Ameen

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत